पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश

1. शासनादेश संख्या–2024/68–5–2019–810/2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के साथ–साथ अध्यापक/अध्यापिकाओं के पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की व्यवस्था दी गयी है। अतएव पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जो–

   क– ऐसे नियमित पुरूष शिक्षक जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हो एवं उनके विरूद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्यवाही में उन्हें दण्डित न किया गया हो, वे पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आवेदन करने के पात्र होंगे।

   ख– दिव्यांग पुरूष/महिला शिक्षक को कार्यरत जनपद में कमशः 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की अनिवार्यता सेवावधि से छूट रहेगी। ऐसे दिव्यांग पुरूष/महिला शिक्षक पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकेंगे।

   ग– ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वे ही रजिस्ट्रेशन/आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

   घ– जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जायेगा। अतएव ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. आवेदन हेतु 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की न्यूनतम अर्हता की तिथि शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु विज्ञापन निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 20.12.2019 से मानी जायेगी।

3. शासनादेश दिनांक 02.12.2019 के बिन्दु संख्या–14 के अनुसार– आकांक्षी जनपदों सहित सभी जनपद के अध्यापकों के पारस्परिक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण में दोनों अध्यापकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और दोनों को ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

4. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु इच्छुक अध्यापक/अध्यापिकाओं को निर्दिष्ट वेबसाइट **upbasiceduparishad.gov.in** पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा।

5. **अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है, पुनः पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।** परन्तु यह प्रावधान ऐसे अध्यापकों पर, जोकि पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके है परन्तु असफल रहे हैं /भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/अर्द्ध सैनिक बलों यथा, CRPF/CISF/SSB/ASSAM RIFLES/ ITBP/NSG /BSF/दिव्यांगों/ असाध्य रोगी तथा एकल माता–पिता (Single Parent) से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा, वे निर्धारित प्रकियानुसार पारस्परिक अन्तर्जनदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

6. **(i) पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ही किये जायेंगे।**

२:

Scanned by CamScanner

(ii) अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण (अध्यापक के अनुरोध पर) अथवा पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में से किसी एक में ही आवेदन करना होगा।

(iii) पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापक/अध्यापिका को काउन्सिलिंग के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, कि उनके द्वारा मात्र पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

(iv)(क) पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण

1– प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय
2– प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय
3– सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय
4– सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
5– प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

(iv)(ख) पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण

1– भाषा शिक्षक का भाषा शिक्षक के साथ।
2– विज्ञान शिक्षक का विज्ञान शिक्षक के साथ।
3– गणित शिक्षक का गणित शिक्षक के साथ।

नोट– उपर्युक्त शर्तों के अधीन ही पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

7. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रकियानुसार भरे जायेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन पत्र Final Submit करने के पूर्व भरी गयी प्रविष्टियों को जांच करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र को ओ0टी0पी0 के माध्यम से अन्तिम रूप से पूर्ण कर प्रिन्ट लेना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र को ओ0टी0पी0 के माध्यम से Submit करने के उपरान्त किसी प्रकार का पुनः संशोधन संभव नही होगा। किसी भी त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी नवीन मोबाइल नम्बर का प्रयोग करते हुए नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

8. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र भरने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका द्वारा समस्त सम्बन्धित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 20.01.2020 तक कार्यालय समयावधि में जमा कराया जायेगा।

9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा **दिनांक 21.01.2020 से 25.01.2020 के मध्य** काउन्सिलिंग का आयोजन कराया जायेगा जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन पत्र तथा अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी। उक्त तिथि को सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं से परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर ज्येष्ठता सम्बन्धी शपथ पत्र भी भरवाया जायेगा।

10. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन जनपद में स्थानान्तरित होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 के नियम 22(2) के अनुरूप किया जायेगा– अर्थात– "***किसी अध्यापक को जिसे नियम–21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये***

Scanned by CamScanner

गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।'

11. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरणा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगें मैनुअल आवेदन पत्र (यथा– रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

12. काउन्सिलिंग के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। केवल सत्यापित रजिस्ट्रेशन पत्रों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण करने के उपरान्त ही पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

13. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले प्राधिकारी एवं संस्थान से कराया जायेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसके विरूद्ध एवं फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख निर्गत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

14. Submit करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। Submit करने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गयी किसी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

15. अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी समस्या हेतु बेसिक शिक्षा परिषद की ईमेल आई0डी0 पर mutualinterdistrict1920@gmail.com पर अपनी समस्या का उल्लेख किया जा सकता है।

16. **ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जिनके द्वारा पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त कर चुके है, वे पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अर्ह नहीं होंगे।**

17. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

18. **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के उपरान्त दोनो अध्यापकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जायेगा। कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त यदि किसी अध्यापक द्वारा जानबूझ कर स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जायेगी। दोनो अध्यापकों को अपने कार्यरत जनपद से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में निर्धारित समयावधि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।**

Scanned by CamScanner